

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/1575

दिनांक: 10/05/2025

आदेश

आयोग के प्रेस नोट 1317 दिनांक 02.05.2025 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में दिनांक 01.06.2024 से 31.12.2024 तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई थी।

पंचायतीराज विभाग ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2025 द्वारा वर्तमान में राज्य से लगती अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के मध्यनजर सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण राज्य में उक्त उपचुनावों को स्थगित किये जाने के संबंध में निवेदन किया है।

अतः उक्त के क्रम वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर एवं जन-धन को किसी प्रकार की क्षति/नुकसान न हो, को ध्यान में रखते हुए उक्त उपचुनाव कार्यक्रम को प्रत्याहरित किया जाता है। साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 09.05.2025 को जारी की गई लोकसूचना के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर आयोग को सूचित करें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 10/05/2025

क्रमांक: एफ. 7(2)(8)/पंचा/रानिआ/2025/1576-1590

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान सरकार
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग/वित्त (आबकारी) विभाग/वित्त (मार्गोपाय) विभाग राज., जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/सामान्य प्रशासन/कार्मिक विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/विधि एवं न्याय विभाग/गृह विभाग राज., जयपुर।
8. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
9. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
10. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान।
11. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर
12. महानिदेशक पुलिस/अति० महानिदेशक पुलिस (कानून एवं व्यवस्था), राज० जयपुर
13. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
14. अध्यक्ष/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
15. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(पंचायत)।

(नलिनी कठोटिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव